22.11.23 पत्रावली पेश। वकील वादी उप०। अदालत से
प्राप्त हो गया है, जो शा. पत्र है। वकील
वादी द्वारा अदालतनामा के आधार पर वाद
निर्णीत किये जाने का निवेदन किया गया।
बहस वकील वादी सुनी गई।

मैंने शा. पत्रावली का सम्यक्
अवलोकन किया, वकील वादी द्वारा प्रस्तुत
वादी के शपथपत्र, अदालतनामा साथ संलग्नक
फर्दनक्शा एवं अक्स शजरा खतौनी एवं नक्शा
अदालत के अवलोकन बाद, वादी सीमा

मुक...

हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	
	...होना प्रतीत होने से स्वीकार किया जाता है, विहित नियम पूर्वक से लिखाया जाय। प्रा० पत्र स्वीकार किया जाता। पत्रावली फैसल शुमार की जाकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। (हस्ताक्षर)	

Scanned with OKEN Scanner

मजिस्ट्रेट सांगोद उपखण्ड

–:: न्यायालय उपजिला कलेक्टर सांगोद जिला कोटा ::–

बईजलास रामावतार मीना (आर.ए.एस.)

मिसल न0 31/2024

बउनवान

रामगोपाल पुत्र माधोलाल उम्र 76वर्ष जाति माली निवासी ग्राम कुन्दनपुर तहसील सांगोद जिला कोटा राजस्थान। –वादी–

बनाम

राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार सांगोद तहसील सांगोद जिला कोटा राजस्थान।

– प्रतिवादी–

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 89 आर टी एक्ट

उपस्थितिः–

वादी की ओर से :– श्री बाबूलाल नागर एडवोकेट

प्रतिवादी की ओर से :– पैरोकार सरकार

–:: **निर्णय** ::– दिनांकः– 22.11.2024

संक्षेप मे प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है,कि वादी द्वारा वाद प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादी के खाते व कब्जे काश्त की आराजी मालग्राम कुराडियाकलॉ पटवार हल्का कुन्दनपुर तहसील सांगोद जिला कोटा के खातास0 नई 27 के खसर न0 380 की 0.21 हेक्टर, खसरा न0 381 की 0.22हेक्टर कुल 2 किता की 0.43हेक्टर सम्पूर्ण व माल ग्राम कुन्दनपुर पटवारहल्का कुन्दनपुर तहसील सांगोद मे खाता स0 नई 42 के खसरा न0355 की 0.24हेक्टर सम्पूर्ण व माल ग्राम कुन्दनपुर पटवारहल्का कुन्दनपुर तहसील सांगोद के खाता स0 नई 80 के खसरा न0 51 की 0.85हेक्टर, खसरा न0 510 की 0.34हेक्टर, खसरा न0 517 की 0.28हेक्टर, खसरा न0 589 की 0.67हेक्टर, खसरा न0 590 की 0.32 हेक्टर, खसरा न0 591 की 0.46हेक्टर कुल किता 6 की कुल 2.92हेक्टर मे 1/24हिस्सा आराजी व माल ग्राम कुन्दनपुर के खाता स0 नई 96 के खसरा न0 293 की 0.06हेक्टर, खसरा न0 295 की 0.03 हेक्टर, खसरा न0296 की 0.07हेक्टर, खसरा न0 297 की 0.06 हेक्टर, खसरा न0298 की 0.21 हेक्टर, खसरा न0299 की 0.09हेक्टर, खसरा न0308 की 0.12 हेक्टर, खसरा न0309 की 0.05हेक्टर, खसरा न0 311 की 0.18हेक्टर, खसरा न0335 की 0.16हेक्टर, खसरा न0336 की 0.06हेक्टर, खसरा न0 337 की 0.10हेक्टर, खसरा न0 394 की 2.09हेक्टर, खसरा न048 की 0.43हेक्टर कुल किता 14 की कुल 3.71हेक्टर आराजी मे 1/24हिस्सा आराजी व माल ग्राम बायडा पटवार हल्का कुन्दनपुर तहसील सांगोद मे खाता स0 नई 57 के खसरा न017 की 1.27 हेक्टर, खसरान018 की 0.19 हेक्टर, खसरा न019 की 1.11हेक्टर, खसरा न0 20 की 1.09 हेक्टर कुल किता 4 की कुल 3.66 हेक्टर आराजी व खाता स0 नई 45 के खसरा न0 356 की 0.01हेक्टर मे 1/2हिस्सा आराजी दर्ज रेकार्ड है, जिसका वादी खातेदार कृषक है। उक्त वर्णित आराजीयात

उप खण्ड मजिस्ट्रेट
सांगोद (कोटा)

Scanned with OKEN Scanner

को वादी राजस्व रेकार्ड मे दर्ज हिस्से अनुसार मौके पर शांति पूर्वक काबिज काश्त व उपयोग उपभोग करता चला आ रहा है, वर्तमान मे भी वादी ने उक्त आराजी मे हंकाई जुताई करके फसल बोने के लिए तैयार कर रखी है। वादी ने अपने खाते की आराजी पर किसान क्रेडिट कार्ड जारी करवाने हेतु व अन्य आवश्यक कार्य के लिए अपनी आराजी के राजस्व रेकार्ड की नकल जमाबन्दी की आवश्यकता होने पर वादी ने अभी हाल ही मे खाते की नकल निकलवायी, तो वादी की जानकारी मे आया, कि वादी के खाते व कब्जे काश्त की आराजी मे वादी का नाम एक जमाबन्दी मे गोपाल पुत्र माधोलाल व दूसरी जमाबन्दी मे गोपाल पुत्र माधो दर्ज हो रहा है। जिसके बाद वादी द्वारा उक्त नकल के आध ाार पर अपनी जमीन पर किसान क्रेडिट कार्ड ऋण लेने के लिए बैंक गया, तो बैंक द्वारा वादी के आधार कार्ड मे वादी का नाम रामगोपाल पुत्र माधोलाल दर्ज होने व राजस्व रेकार्ड मे वादी का नाम गोपाल पुत्र माधो व माधोलाल नाम होने अर्थात नाम मे भिन्नता मानते हुए वादी को कृि ऋण देने से मना कर दिया, जिसके बाद वादी द्वारा पटवारी हल्का महोदय से उक्त नाम मे दुरस्ती करने की कहने पर पटवारी हल्का द्वारा माननीय न्यायालय से आदेश लाने की कहने से वादी के लिए माननीय न्यायालय मे उक्त वाद प्रस्तुत करना आवश्यक हुआ है। वादी का वास्तविक व प्रचलित नाम रामगोपाल पुत्र माध ोलाल है, जिसकी पुष्टि आधार कार्ड, जन आधार कार्ड व अन्य पहचान के दस्तावेजो से होती है, तथा गोपाल वादी का घर का बोलता नाम है, उक्त आराजी के राजस्व रेकार्ड मे वादी का घर का बोलता नाम गोपाल लिखा हुआ है, वादी के नाम मे भिन्नता होने से वादी को आराजी आराजी का विकाय कार्य करवाने व सरकार से मिलने वाली सुविधाए प्राप्त करने से वंचित रहना पड सकता है, जिसके लिए उक्त आराजी के राजस्व रेकार्ड मे दर्ज गलत नाम को दुरस्त करवाना आवश्यक होने से उक्त वाद माननीय न्यायालय मे पेश किया गया है।

उक्त आशय का वाद माननीय न्यायालय मे प्रस्तुत होने पर वादी का वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी की तलबी की गई, तथा प्रतिवादी पैरोकार सरकार ने न्यायालय मे उपस्थित होकर अपना जवाब प्रस्तुत कर वादी के वाद पत्र को न्यायोचित होना जाहिर किया, जिसके आधार पर वादी का वाद स्वीकार किया जाकर वादी का वाद अंतिम रूपसे डिक्री किया जाना उचित समझते है, जो स्वीकार किया जाता है।

–:: आदेश ::–

अत: वादी का वाद स्वीकार किया जाकर अंतिम रूपसे डिक्री किया जाता है,तथा आदेश दिया जाता हैकि माल ग्राम कुराडियाकलॉ पटवार हल्का कुन्दनपुर तहसील सांगोद जिला कोटा राजस्थान के खातास0 नई 27 के खसरान0 380 की 0.21 हेक्टर,

3.....

उप खण्ड मजिस्ट्रेट
सांगोद (कोटा)

Scanned with OKEN Scanner

खसरा न0 381 की 0.22 हेक्टर कुल 2 किता की 0.43हेक्टर सम्पूर्ण व माल ग्राम कुन्दनपुर पटवारहल्का कुन्दनपुर तहसील सांगोद मे खाता स0 नई 42 के खसरा न0355 की 0.24 हेक्टर सम्पूर्ण व माल ग्राम कुन्दनपुर पटवारहल्का कुन्दनपुर तहसील सांगोद के खाता स0 नई 80 के खसरा न0 51 की 0.85हेक्टर, खसरा न0 510 की 0.34हेक्टर, खसरा न0 517 की 0.28 हेक्टर, खसरा न0 589 की 0.67हेक्टर, खसरा न0 590 की 0.32हेक्टर, खसरा न0 591 की 0.46हेक्टर कुल किता 6 की कुल 2.92हेक्टर मे 1/24हिस्सा आराजी व माल ग्राम कुन्दनपुर के खाता स0 नई 96 के खसरा न0 293 की 0.06हेक्टर, खसरा न0 295 की 0.03हेक्टर, खसरा न0296 की 0.07हेक्टर, खसरा न0297 की 0.06हेक्टर, खसरा न0298 की 0.21हेक्टर, खसरा न0299 की 0.09हेक्टर, खसरा न0308 की 0.12हेक्टर, खसरा न0309 की 0.05हेक्टर, खसरा न0 311 की 0.18हेक्टर, खसरा न0335 की 0.16 हेक्टर, खसरा न0336 की 0.06हेक्टर, खसरा न0 337 की 0.10हेक्टर, खसरा न0394 की 2.09 हेक्टर, खसरा न048 की 0.43हेक्टर कुल किता 14 की कुल 3.71हेक्टर आराजी मे 1/24 हिस्सा आराजी व माल ग्राम बायडा पटवार हल्का कुन्दनपुर तहसील सांगोद मे खातास0 नई 57 के खसरा न017 की 1.27 हेक्टर, खसर न0 18 की 0.19हेक्टर, खसरा न019 की 1.11हेक्टर, खसरा न0 20 की 1.09 हेक्टर कुल किता 4 की कुल 3.66हेक्टर आराजी व खाता स0 नई 45 के खसरा न0 356 की 0.01हेक्टर मे 1/2हिस्सा आराजी के राजस्व रेकार्ड मे दर्ज वादी के घर के बोलते नाम गोपाल के स्थान पर वादी के वास्तविक व प्रचलित नाम रामगोपाल पुत्र माधोलाल होने से वादी का नाम रामगोपाल उर्फ गोपाल पुत्र माधोलाल दर्ज किये जाने की घोषणा की डिक्री पारित की जाती है, तथा उक्त घोषणा के अनुक्रम मे इन्द्राज दुरस्त कर राजस्व रेकार्ड मे गोपाल के स्थान पर रामगोपाल उर्फ गोपाल पुत्र माधोलाल दर्ज कर राजस्व रेकार्ड मे दुरस्ती किये जाने के सादिर आदेश दिये जाते है, इस आशय की घोषणा व इन्द्राज दुरस्ती की डिक्री वादी के हक मे व प्रतिवादी के विरूद्व पारित की जाती है।नियमानुसार डिक्री पर्चा प्रथक से जारी हो, तथा पत्रावली फैसल शुमार की जाकर नम्बर से कम की जावे।

(रामावतार मीना)
सांगोद (कोटा)
आर. ए. एस.
उपखण्ड अधिकारी सांगोद

निर्णय आज दिनांक 22.11.2024 को खुले न्यायालय मे लिखाया जाकर सुनाया गया।

उपखण्ड मजिस्ट्रेट
(रामावतार मीना)
सांगोद (कोटा)
आर. ए. एस.
उपखण्ड अधिकारी सांगोद

Scanned with OKEN Scanner